न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 25/2024
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 21.02.2024

अनवान

1. कमलेश पिता पप्पुलाल बैरवा, निवासी शिवपुरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता रतनी पत्नि पप्पुलाल निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. लोकेश पिता पप्पुलाल बैरवा निवासी शिवपुरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता रतनी पत्नि पप्पुलाल निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. कृष्णा पुत्री पप्पुलाल बैरवा निवासी शिवपुरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता रतनी पत्नि पप्पुलाल निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

– प्रार्थीगण

वनाम

1. पप्पुलाल पिता खेमा बैरवा, निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. गोपीबाई बेवा खेमा बैरवा निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. देवीलाल पिता डालु बैरवा निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. शंकरलाल पिता नवलराम बैरवा निवासी अमरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5. श्रीमान भूमिधारक एवं राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता किषनलाल जाट

निर्णय

दिनांक 29.01.2026

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेष 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक मूल वाद बावत् स्वत्व एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् विपक्षीगण के विरूद्ध सच्चे एवं ठोस आधारों पर आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। राजस्व ग्राम पिवपुरा पटवार हल्का खडवामणियां तहसील रेलमगरा की वर्तमान खाता संख्या 57 में निम्न आराजीयात हैः– आराजी संख्या 414, 431, 432, 433 कुल किता 04 कुल रकबा 2.7437 हैक्टैयर भूमि स्थित है। वर्तमान खाता संख्या 46 में आराजी संख्या 408 रकबा 0.8741 हैक्टेयर अंकित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 व 04 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 की पैतृक आराजीयात है। उक्त आराजीयात पुर्व में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के पूर्वाधिकारी खेमा पिता केला की कृषि आराजीयात है। खेमा प्रार्थीगण के दादाजी है तथा विपक्षी संख्या 01 के पिता तथा विपक्षी संख्या 02 के पति है। खेमा की मृत्यु पष्चात् उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई। स्वर्गीय खेमा जी के विधिक वारिसान पप्पुलाल विपक्षी संख्या 01 पुत्र, प्रेमी पुत्री व गोपीबाई बेवा विपक्षी संख्या 02 है। खेमा के मृत्यु के पष्चात् जो नामान्तकरण संख्या 444 तस्दीक किया गया और खेमा जी की पुत्रियां प्रेमी व भगवती ने हक त्याग उक्त भूमियों का विपक्षी संख्या 01 व 02 के पक्ष में निष्पादित किया गया जिससे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 व 04 में वर्णित आराजीयात हिस्सेनुसार विपक्षी संख्या 01 व 02 के पक्षकार में अंकित कर दी गई है। प्रार्थीगण स्वर्गीया खेमा जी के विधिक वारिसान होकर सहदायिकी है जिससे विवादग्रस्त सम्पति में प्रार्थीगण का हक, अधिकार है क्योंकि प्रार्थीगण विवादग्रस्त सम्पति के सहदायिकी कोपासनर है इसलिये प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का प्रत्येक पृथक पृथक होता है तथा इसी अनुसार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 में वर्णित आराजीयात में विपक्षीक्षगण का पृथक–पृथक 17/162 वां हिस्सा है जिससे प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में अपना स्वत्व एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने के अधिकारी है। विपक्षी संख्या संख्या 01 द्वारा प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 04 में वर्णित आराजी संख्या 408 रकबा 0.8741 हैक्टेयर का कुछ हिस्सा राजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 07.11.2022 को विपक्षी संख्या 04 को विक्रय कर दिया गया है जो शुन्य है विक्रय करने का विपक्षी संख्या 01 को कोई हक, अधिकार नहीं है इसलिये दिनांक 09.11.2022 विपक्षी संख्या 04 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है वो विपक्षीगण के मुकाबले विक्रय पत्र अवैध व शुन्य है इसलिये दिनांक 09.11.2022 को निष्पादित विक्रय पत्र अवैध व शुन्य है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 04 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण के हिस्से की घोषणा हो जाने के पष्चात् विपक्षीगण प्रार्थीगण की प्राप्त आराजीयात में कब्जे काष्त में हस्तक्षेप, दलखन्दाजी बाधा कारित नहीं करे जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने आवष्कता है अगर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित नहीं की गई तो प्रार्थीगण अपनी भूमियों से वंचित हो जायेगें और काष्त नहीं कर पायेंगे प्रार्थीगण को अपूरणीय कारित होगी जिसकी पूर्ती नकदी में संभव नहीं होगी। इस हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें जिससे यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हेतुक दिनांक 20.01.2024 को उत्पन्न हुआ एवं विपक्षी संख्या 01 द्वारा भूमि विक्रय की गई जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 20.01.2024 को हुई विपक्षीगण शुरू से यह जानकार आ रहे है कि सम्पति बाप दादाओं की है तो भूमि विक्रय की गई जानकारी होते ही आवष्यक दस्तावेज इकट्ठे किये गये जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आपय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 व 04 में वर्णित आराजीयात को विपक्षीगण किसी अन्य व्यक्ति, संस्था को रहन–वह–बक्षीस नहीं करे न ही हस्तान्तरित सम्बन्धी कोई दस्तावेज निष्पादित करे तथा मौके तथा रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण तामील रजिस्टर्ड ऐडी से कराये गये विपक्षीगण न्यायालय मे अनुपस्थित रहे जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा संतुलन होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस आदि के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः आदेश सुनाया जाता है कि –

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(विन्दू वाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा